अध्याय-15

खानापुरी प्रक्रिया समाप्त होने पर पश्चात् विश्रान्ति के दौरान अंतिम खेसरा पंजी (प्रपत्र 19) एवं अंतिम अधिकार अभिलेख (प्रपत्र 20) के संधारण की प्रक्रिया

रूपरेखा

1. खानापुरी प्रक्रिया समाप्त होने पर पश्चात् विश्रान्ति के दौरान अंतिम रूप से खेसरापंजी (प्रपत्र 19) एवं अंतिम अधिकार अभिलेख (प्रपत्र 20) के संधारण की प्रक्रिया 197
2. दावा/आक्षेपों की सुनवाई की प्रक्रिया 198
3. दावा/आक्षेप निपटारा की कार्रवाई, अवधि एवं एकपक्षीय सुनवाई [खानापुरी अधिकार-अभिलेख भू-मानचित्र से सम्बन्धित] 199
4. दावा/आक्षेप सुनवाई की प्रक्रिया एवं बन्दोबस्त सरकारी भूमि के सम्बन्ध में प्रविष्टि से सम्बन्धित कार्रवाई 199

1. खानापुरी प्रक्रिया समाप्त होने पर पश्चात् विश्रान्ति के दौरान अंतिम रूप से खेसरा पंजी (प्रपत्र 19) एवं अंतिम अधिकार अभिलेख (प्रपत्र 20) के संधारण की प्रक्रिया– खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारुप (प्रपत्र 12) को नियमावली के नियम 11 के उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार होने के बाद नियम 11 के उपनियम (2) के अनुसार भू-मानचित्र के साथ शिविर प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करने के पश्चात् नियम 12 के उपनियम (1) के अन्तर्गत विहित स्थानों पर लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए प्रकाशित किया जाना है।

मानचित्र के साथ प्रकाशित किए गए खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारुप के प्रविष्टियों के विरुद्ध दावा/आक्षेप प्राप्त करने के लिए शिविर प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 13 में [नियम 13 का उपनियम (1)] आम सूचना निर्गत किया जाना है [उपनियम (2) के अनुसार] तथा निर्दिष्ट स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना है। इस सूचना के उपरांत रैयतों द्वारा नियम 13 के उपनियम (3) के अनुसार 30 दिनों के अन्दर दावा/आक्षेप दायर किया जाना है।

नियम 13 के उपनियम (4) के अनुसार भूमि में हित रखनेवाले किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग द्वारा मानचित्र एवं अधिकार-अभिलेख प्रारुप के प्रविष्टि के विरुद्ध दावा/आक्षेप दायर किया जा सकेगा। नियम 13 के उपनियम (5) के अनुसार प्राप्त दावों/आक्षेपों को प्रपत्र 15 [नियम 13 का उपनियम (5)] में संधारित पृथक पंजी में प्रविष्ट किया जाना है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रपत्र 16 में संस्वीकृति के प्रमाण मे रूप में रसीद दिया जाना है।

उल्लेखित प्रक्रमों में प्राप्त सभी प्रकार के दावा/आक्षेपों की प्राप्ति एवं संधारण के पश्चात् शिविर कार्यालय के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक दावे एवं आक्षेप के लिए नियम 13 के उपनियम (6) के तहत अलग-अलग वाद अभिलेख प्रारम्भ किया जाएगा। इस वाद अभिलेख में सम्बन्धित दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता के दावा/आक्षेप प्रविष्ट करते हुए नियम 13 के उपनियम (7) के अनुसार सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 17 में सम्बद्ध पक्षकारों को दावा/आक्षेपों की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर दावों/आक्षेपों के बिन्दु पर सुनवाई करने से सम्बन्धित तिथि/समय आदि सूचित किया जाएगा।

2. दावा/आक्षेपों की सुनवाई की प्रक्रिया—सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि को नियम 13 के उपनियम (8) के अनुसार सम्बद्ध पक्षों को सुना जाना है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गये साक्ष्यों का परिशीलन किया जाना है।

यदि कोई पक्ष विहित प्रक्रियानुसार नोटिस तामीला के बाद सुनवाई की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अपने स्थान पर अपने विधिक प्रतिनिधि/विधिक व्यवसायी/अधिवक्ता को पक्ष रखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

विचारण के क्रम में सम्बन्धित पक्षकार द्वारा अपने पक्ष में समर्पित किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यदि निर्णय कर पाना संभव नहीं हो तो सम्बन्धित पदाधिकारी वाद में अभिलिखित भूमि के भौतिक स्थल सत्यापन के लिए तिथि निर्धारित करेगा और सम्बद्ध पक्षों को इसकी सूचना प्राप्त कराते हुए स्वयं या किसी अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी को इस कार्य को करने हेतु प्राधिकृत करेगा। **नियम 13 के उपनियम (8) के अनुसार इस तरह के जाँच-पड़ताल का एक ज्ञापन सम्बन्धित जाँच अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा तथा सम्बन्धित ज्ञापन को वाद अभिलेख के साथ संलग्न किया जाएगा।**

सुनवाई के क्रम में यदि किसी वाद में वादी या आपत्तिकर्त्ता या अन्य पक्ष द्वारा सुनवाई करने वाले अधिकारी से स्थानीय जाँच हेतु कमीशन नियुक्ति का अनुरोध किया जाय तो सुनवाई करनेवाले अधिकारी द्वारा कमीशन नियुक्त करते हुए **प्लीडर कमिश्नर (अधिवक्ता आयुक्त जो सर्वे एवं भू-मापन का जानकार हो) की नियुक्ति किया जा सकेगा।**

यदि किसी पक्ष द्वारा सम्बन्धित राजस्व ग्राम के मानचित्र, अधिकार अभिलेख में दर्ज किसी प्रविष्टि के विरुद्ध दावा या आपत्ति दाखिल किया जाता है जिसमें सम्बन्धित प्रविष्टि के खेसरा की भूमि के भौतिक जाँच का अनुरोध किया जाता है तो सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भौतिक रूप से स्थल जाँच/सत्यापन किए जाने के सम्बन्ध में आदेश कर यथोचित कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा।

भू-मानचित्र या अधिकार अभिलेख में दर्ज किसी प्रविष्टि में सुधार करने हेतु किये गये स्थल जाँच/सत्यापन के क्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारी/कर्मचारी, सम्बद्ध पक्ष एवं मौके पर उपस्थित गवाहों के द्वारा जाँच के दौरान बनाया गया प्रतिवेदन हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस स्थल जाँच प्रतिवेदन को सम्बन्धित वाद अभिलेख के साथ संलग्न किया जाएगा तथा किसी पक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति माँगे जाने पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3. दावा/आक्षेप निपटारा की कार्रवाई, अवधि एवं एकपक्षीय सुनवाई [खानापुरी अधिकार-अभिलेख, भू-मानचित्र से सम्बन्धित]–खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारुप में दर्ज किसी प्रविष्टि तथा भू-मानचित्र में दर्शाये गए आकृति के विरुद्ध नियम 13 के उपनियम (5) के अन्तर्गत प्राप्त दावे की सुनवाई एवं निपटारा नियम 13 के उपनियम (10) के अनुसार साठ दिनों के अन्दर किया जाना है।

नियम 13 के उपनियम (9) के अनुसार यथोचित अवसर देने के बावजूद यदि कोई पक्ष उपस्थित नहीं हो तो उपलब्ध साक्ष्यों एवं स्थल सत्यापन के आधार पर वाद का एकपक्षीय निष्पादन किया जाना है। इस तरह के एकपक्षीय निपटारा के मामले में यह अनिवार्य है कि अनुपस्थित पक्ष को दिए गए सूचना के तामीला की सम्पुष्टि कर ली जाए एवं इस बात का भी प्रयास किया जाय कि स्थल जाँच प्रतिवेदन स्वयं के द्वारा कर या अन्य किसी कर्मचारी/पदाधिकारी से कराकर उनके जाँच प्रतिवेदन को वाद अभिलेख से सम्बद्ध कर दिया जाए। एकपक्षीय सुनवाई की स्थिति उत्पन्न होने पर 60 दिनों के अन्दर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करवाकर निपटारा की कार्रवाई की जानी है। सुनवाई के इस प्रक्रम में नोटिस किए जाने के बाद तामीला की कार्रवाई में यथावश्यक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 के विभिन्न नियमों में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया जा सकेगा।

4. दावा/आक्षेप सुनवाई की प्रक्रिया एवं बन्दोबस्त सरकारी भूमि के सम्बन्ध में प्रविष्टि से सम्बन्धित कार्रवाई–खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारुप (प्रपत्र 12) या अधिकार-अभिलेख (प्रपत्र 20) के प्रकाशन के उपरांत प्राप्त दावा/आक्षेपों से सम्बन्धित भूमि अगर सरकारी भूमि से सम्बन्धित है जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा सुयोग्य श्रेणी के रैयत के साथ बन्दोबस्त है तो उससे सम्बन्धित दावों/आक्षेपों की सुनवाई सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा किया जाना है तथा रैयत द्वारा प्रस्तुत कागजातों/दस्तावेजों की समुचित जाँच-पड़ताल के बाद बैध बन्दोबस्ती की स्थिति में सम्बन्धित रैयत की पत्नी का नाम प्रथम प्राथमिकता के रूप में शीर्ष पर अंकित करते हुए रैयत पति का नाम दर्ज करते हुए संयुक्त खाता खोलने का आदेश दिया जाना है। प्रपत्र 20 के अभ्युक्ति कॉलम में यह भी प्रविष्ट किया जाएगा कि प्रश्नगत भूमि बन्दोबस्ती वाद संख्या ...../वर्ष ..... के द्वारा बन्दोबस्त की गई है। यह भूमि अन्तरणीय नहीं है किन्तु इस पर सिर्फ वंशानुगत अधिकार कायम रहेगा।

उल्लेखित तथ्यों की प्रविष्टि वाद अभिलेख के आधार पर सम्बन्धित शिविर पदाधिकारी–सह–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 18 एवं 19 के अभ्युक्ति कॉलम में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

यदि कोई सरकारी भूमि जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा बन्दोबस्त है तथा उक्त भूमि के पर्चाधारी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो मृत पर्चाधारी के उत्तराधिकारी/वंशज के दखल कब्जे में है तथा मृत पर्चाधारी व्यक्ति के उत्तराधिकारियों द्वारा विभक्त है तो दखल–कब्जा के आधार पर सम्पूर्ण बन्दोबस्त भूमि के रकबा को विभक्त करते हुए अलग–अलग खाता खोलने की कार्रवाई की जाएगी तथा दखल के अन्तर्गत के रकबे की प्रविष्टि की जाएगी।

यदि किसी बन्दोबस्तधारी द्वारा बन्दोबस्ती के अन्तर्गत की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति या सुयोग्य व्यक्ति के नाम से अंतरण कर दिया गया हो तथा क्रय की गई भूमि क्रेता के दखल में है तो अंतिम अधिकार अभिलेख प्रपत्र 20 के अभ्युक्ति कॉलम में अवैध दखल दर्ज किया जाएगा। साथ ही अवैध अंतरण के सम्बन्ध में विधिनुरूप कार्रवाई के लिए अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी के पास सूचित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बन्दोबस्त सरकारी भूमि के अवैध अंतरण के आधार पर वर्तमान दखलकार के नाम खाता नहीं खोला जाएगा।

नियम 13 के उपनियम (10) के अनुसार प्रपत्र 12 में अधिकार–अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के उपरांत की गई सुनवाई की प्रक्रिया में सुनवाई का कार्य सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा एवं उसी पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की जाएगी जिसके द्वारा प्रपत्र 12 के प्रारूप प्रकाशन के पूर्व सुनवाई नहीं की गई हो। प्रपत्र 12 में प्रारूप अधिकार–अभिलेख के प्रकाशन के पूर्व सुनवाई करने वाले सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी से भिन्न पदाधिकारी को निकटवर्ती शिविर से प्रभारी पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति किए जाने की इस प्रक्रिया में प्रारूप अधिकार–अभिलेख (प्रपत्र 12) के प्रारूप प्रकाशन के साथ–साथ पदाधिकारियों के उनके नाम, पद एवं सम्पर्क नम्बर के साथ शिविर कार्यालय में प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि दावा/आक्षेप देने वाले पक्षकार को प्रारूप खानापुरी अधिकार–अभिलेख (प्रपत्र 12) के बाद सुनवाई करने वाले पदाधिकारी के बारे में पूरी जानकारी हो सके।

खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के उपरांत पूरी की गई सुनवाई प्रक्रिया के पश्चात् सुनवाई क्रम में किए गए रकबा सम्बन्धी परिवर्तनों के अनुसार मानचित्र में परिवर्तन करने के लिए सम्बन्धित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को परिवर्तन किये जाने वाले खेसरों का विवरण परिवर्तित रकबा के साथ या अन्य किसी तरह का संशोधन करने सम्बन्धी विवरण को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अधिकार अभिलेख में किये गये परिवर्तनों

के अनुसार प्रपत्र 18 में नये तेरीज (नये अधिकार अभिलेख का प्रपत्र) में नए खेसरा के रकबा में सुधार किया जाएगा। सुनवाई के क्रम में यदि प्रपत्र 12 के किसी रैयत के नाम में सुधार/परिवर्तन किया गया है तो उसे भी तद्नुसार प्रपत्र 19 [नए खेसरा पंजी प्रपत्र] में सभी सुधार किये जाएंगे।

अंतिम अधिकार अभिलेख (प्रपत्र 20) में सुधार करने तथा उसे अन्तिम रूप से प्रकाशित करने के पूर्व प्रपत्र 18 [नए अधिकार अभिलेख का प्रपत्र], प्रपत्र 19 [नया खेसरा पंजी प्रपत्र] को विश्रान्ति के दौरान कार्य करने से सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। विश्रान्ति शाखा में अधिनियम की धारा 10 एवं नियमावली के नियम 14 के उपनियम (1) से पाँच (5) तक के प्रावधान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को पूर्ण किया जाएगा।

●